करौली (राज०)

15.9.2020 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस वकील उभयपक्ष का श्रवण किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायल ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायला व गैर सायल नं. 1 व प्रतिवादी नं. 2 ता 24 एवं 31 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। और मृतक शिवलाल के वारिसान उत्तराधिकारीगण हैं सजरा वाद पत्र मे पैरा नं. 1 में अंकित है। खसरा नं. 1948, 1948/1780, 1949, 1950 कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं. 8 करौली तह. करौली सायला व सायला के पिता श्रीचन्द सम्पूर्ण प्रश्नगत शिवलाल, दुर्गी बेवा शिवलाल के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की रही है दुर्गी का स्वर्गवास हो चुका है। जिसमे श्रीचन्द का 1/3 हिस्सा है खसरा नं. 431, 91, 921, कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.25 10:44:25 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किता 3 कुल रकबा 29बीघा 16 बिस्वा ग्राम पड़ाव मक्खू सिंह परवार हल्का मोंची तह० करौली मे श्रीचन्द का 1/3 हिस्सा है। जिसका श्रीचन्द व अन्य प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी तौर पर विभाजन नही हुआ है। गैर सायल नं. 1 के दिल मे बदनियती आ गयी है और आराजीयात को बिना बटवारा कराये दीगर व्यक्तियो को हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिससे यदि गैर सायल नं. 1 सफल हो गया तो सायला के हक हकूक पर आघात होगा सायला को अपूरणीय क्षति व भारी असुविधा होगी अजनबी के गले साथ काश्त कर लाभ प्राप्त करना सम्भव नही होगा सायला गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से ता फैसला दावा पाबन्द कराने की अधिकारी है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। गैर सायल नं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि सायला व गैरसायल नं. 1 प्रतिवादी नं. 2 ता 24 व 31 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नही है। सोप्र व श्रीचन्द एवं प्रभु अपने पिता शिवलाल के जीवन मे ही अलग-अलग रिहायश एवं खान पान करने लगे और सभी जायदाद का बाहमी बटवारा कर दिया तभी से संयुक्त परिवार के सदस्य नही है। सायला गैर सायल नं. 1 की पुत्री है जिसका विवाह गैर सायल नं. 1 ने 35 साल पूर्व कर दिया और तभी से अपने पति व बच्चो के साथ रिहायश करती है। गैर सायल नं. 23 व 24 भी गैरसायल नं. 1 की पुत्री है। सरोज का विवाह सायला के देवर के साथ सायला के साथ ही किया था एवं गैर सायल नं. 24 का विवाह [illegible] की वर्ष किया है और पति [illegible] रह रही है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.25 10:44:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सापला का वादग्रस्त आराजीयात मे कोई हक व हिस्सा गैरसापल नं. 1 के जीवन काल मे नही बनता है ना उसके नाम खातेदारी है। गैरसापल नं. 1 को सम्पत्ति को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग एवं हस्तान्तरण करने का अधिकार है। सापला लालची किस्म की महिला है जो गैर सापल नं. 1 को हमेशा से परेशान करती रही है और रकम हडपती रही है। सापला को गैरसापल नं. 1 ने धन्नीराम सरपंच का पुरा मे प्लाट दिलाकर मकान अपनी लागत से बनवाया है किन्तु उसके बावजूद सापला के लालच की पूर्ती नही हुई है और व झूठे दावा व प्रार्थना पत्र के द्वारा गैरसापल नं. 1 की आराजीयात को छीनना चाहती है। सापला गैर सापलान के विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अन्त मे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वकील सापला का बहस मे कथन है कि वादग्रस्त आराजी शिवलाल के समय की पैतृक सम्पत्ति है। जो गैरसापल नं. 1 को शिवलाल से प्राप्त हुई है। सापला उसकी बहिन है। गैर सापल नं. 1 भूमि को बिना बटवारा कराये दीगर व्यक्ति को रहन बय करने पर आमादा है अजनबी क्रेता से सापला को काश्त करने मे परेशानी पैदा होगी और सापला अपने हक हिस्से से वंचित हो जावेगी इसलिए गैर सापल नं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे। वकील गैर सापल नं. 1 का बहस मे कथन है कि सापला गैरसापल नं. 1 की पुत्री है। गैर सापल नं. 1 अभी जिन्दा है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के ...		

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.25 10:44:25 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को गैरसायल नं. 1 के जीवन काल मे कोई हक व अधिकार एवं हिस्सा नही है। और बटवारा कराने की हकदार नही है। सायला का दावा व प्रार्थना पत्र की आड मे गैरसायल नं. 1 की खातेदारी व कब्जे की भूमि को छीनना व हडपना चाहती है। गैर सायल नं. 1 को भूमि को उपयोग उपभोग करने एवं हस्तान्तरण करने का अधिकार है। सायला का भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नही है। प्रार्थना पत्र सायला खारिज किया जावे। बहस वकील के मनन करने एवं पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं. 2015 से वादग्रस्त आराजीयात का सायला व गैर सायल नं. 1 के पूर्वज शिवलाल पुत्र [illegible] के समय की होना उभय पक्ष का स्वीकृत तथ्य है। सायला गैरसायल नं. 1 की पुत्री भी होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत है। जिससे सायला के हक हकूक मूल दावा के अन्तिम निर्णय पर तय होने से सायला व गैरसायल नं. 1 के बीच हक हकूक खातेदारी तय होने का [illegible] भावी विवाद है। जिससे प्राईमाफेसी केस सायला के पक्ष मे प्रतीत होता है। यदि दौराने दावा गैर सायल नं. 1 द्वारा भूमि का हस्तान्तरण किया जाता है तब सायला के अपूर्णीय क्षति व असुविधा होने की संभावना है ऐसी स्थिति मे वाद ग्रस्त आराजी की स्थिति यथावत रखा जाना उचित है। प्रार्थना पत्र सायल आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है। अत: प्रार्थना पत्र सायला विरुद्ध गैर सायलान आंशिक स्वीकार किया जाता है। सायला व गैरसायलान को ता फैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खे.नं. 1948, 1948/9786, 1949, 1950 कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं. 8 एवं खे.नं. 431, 91 921, कुल किता 3 कुल रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा ग्राम पडाव मकरवा [illegible] पटवार हल्का मांची तहसील करौली को रहन बय नही करे [illegible] रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम [illegible] के साथ शामिल [illegible] गया।	

राजस्व न्यायालय में पत्रावली पेश करते समय आवश्यक रूप से भरा जाय

केस | एक्ट का नाम | धारा 53, 188

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.25 10:44:25 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner